<table>
<tr><td>1</td><td>विभाग</td><td colspan="2">विघुत विभाग, मेरठ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>योजना का नाम</td><td colspan="2">प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य"</td></tr>
<tr><td>3</td><td>योजना की संक्षिप्त टिप्पणी</td><td colspan="2">भारत सरकार द्वारा बिजली सुविधा से वंचित आर्थिक/सामाजिक तौर पर कमजोर परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाने के उददेश्य से योजना लागू की गयी है, जिसमें कनेक्शन प्राप्त करने के लिये न कोई अग्रिम शुल्क या प्रभार दिया जाना है तथा न ही सर्विस केबिल एवं मीटर हेतु कोई चार्ज लिया जायेगा। लाभार्थी को संयोजन के साथ एक एल0ई0डी0 बल्ब, सिंगल पाईट वायरिंग, एक मोबाइल चार्जिज पाइंट तथा एक स्विच प्रदान किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">पात्रता की अर्हता</td><td colspan="2">सौभाग्य योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दिये जाने की पात्रता (संदर्भ SECC)</td></tr>
<tr><td>निःशुल्क(गरीब परिवार)</td><td>गरीब परिवार किन्तु यदि निम्न श्रेणी में तो कनेक्शन के पश्चात मात्र 500/– की दस किश्तें रू0 50/–प्रति माह(मासिक बिल के साथ)</td></tr>
<tr><td>1. ऐसे परिवार जिसके पास कोई बसेरा न हो।
2.ऐसा निराश्रित परिवार जो भिक्षा/दान पर निर्भर हों।
3. ऐसा परिवार जिनके सदस्य कूडा–करकट में से सामान बीनते हों।
4.पुरातन जनजाति समूह।
5.बंधुआ मजदूरी से कानून के अनसार मुक्त कराये गये परिवार।
6.ऐसे आवासधारक जिनके पास कच्ची दीवार व छतयुक्त एक कमरा हो।
7.ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क न हो।
8.ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो तथा 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरूष न हो।
9.ऐसे परिवार जिसमें कोई दिव्यांग सदस्य हो तथा कोई स्वस्थ्य वयस्क सदस्य न हो।
10.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।
11.ऐसे परिवार जिसमें 25 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई शिक्षित वयस्क सदस्य न हो।
12.ऐसे भूमिहीन परिवार जो अपना जीवन यापन हस्त मजदूरी से करते हो।</td><td>1.ऐसे परिवार जिनके पास मोटरचलित 2/3/4 पहिया वाहन/मछली ढोने वाली नाव हो।
2.ऐसे परिवार जिनके पास 3/4पहिया मशीनीकृत कृषि यंत्र हो।
3.रू0 50,000/–से अधिक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
4.ऐसे परिवार जिनमें कोई सरकारी कर्मचारी हो।
5.ऐसा परिवार जिसके पास पंजीकृत अकृषक व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो।
6.ऐसे परिवार जिसके परिवार के किसी एक सदस्य की मासिक आय रू0 10,000/–से अधिक हो।
7.ऐसा परिवार जो आयकर का भुगतान करता हो।
8.ऐसा परिवार जो व्यवसायिक कर का भुगतान करता हों।
9.ऐसा परिवार जिसके पास 3 या अधिक कमरे का पक्का मकान हो तथा जिसकी छत व दीवारें पक्की हों।
10.ऐसा परिवार जिसके पास फ्रिज हो।
11.ऐसा परिवार जिसके पास लैण्डलाईन फोन हो।
12.ऐसा परिवार जिसके पास एक सिंचाई यंत्र के साथ 2.5 एकड से अधिक सिंचित भूमि हो।
13.ऐसा परिवार जिसके पास 5 एकड अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि हो तथा जिसमें दो या दो से अधिक फसलें होती हों।
14.ऐसा परिवार जिसके पास 7.5एकड अथवा उससे अधिक भूमि हो तथा कम से कम एक सिंचाई यंत्र हो।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>आवेदन करने की प्रक्रिया</td><td colspan="2">विभिन्न ग्रामों में आयोजित सौभाग्य शिविर तथा सम्बन्धित विद्युत कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>लिंक वेबसाईट</td><td colspan="2">http://saubhagya.gov.in/</td></tr>
<tr><td>7</td><td>सम्पर्क सूत्र</td><td colspan="2">अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता, व मण्ड़ल के मुख्य अभियन्ता विघुत वितरण मण्डल–1 से सम्पर्क किया जा सकता है।</td></tr>
</table>